

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

रीडर/2025/3084  
प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक - 30.5.25  
अप्रार्थीगण

1. मिश्राराम पुत्र उदाराम 2. उदाराम  
3. खेमाराम 4. नरपत 5. प्रकाश 6.  
शोमाराम पिसरान लुणाराम 7.  
भीखाराम 8. जैकाराम 9. ताजाराम  
पिसरान उदाराम जातियान मेगवाल  
निवासीयान खीपर तहसील बाटाडु  
व जिला बाड़मेर।


1 पूराराम 2. बनाराम 3. रूपाराम 4. राजूराम पिसरान  
गिरधारीराम जातियान प्रजापत 5. रूगाराम 6.  
सोनाराम पिसरान मंगलाराम 7. सुरती पत्नी  
मंगलाराम 8. खेताराम पुत्र गुणेशाराम 9. अमुराम पुत्र  
लालाराम 10. विरमाराम 11. आत्माराम 12. रेखाराम  
13. किरताराम 14. खेराजाराम पिसरान अमुराम  
जातियान मेगवाल 15. जैसाराम 16. हीराराम  
पिसरान सवाराम जातियान जाट निवासीयान  
खीपर तहसील बाटाडु व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 404/2024

दिनांक- 27/05/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा खीपर पटवार हल्का खीपर तहसील बाटाडु व जिला बाड़मेर के खेत खसरा  
संख्या 740 रकबा 5.1857, हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु  
तहसीलदार बाटाडु को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीनी व  
अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर  
सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर)  
कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार  
पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 30.5.25

क्रमांक :- रीडर/2025/3085-88

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाटाडु पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी खीपर तहसील बाटाडु को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रिकर्ड उपस्थित  
रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी मिश्राराम पुत्र उदाराम वगैराह जाति जाट निवासी खीपर तहसील बाटाडु व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी पुराराम पुत्र गिरधारीराम जाति प्रजापत वगैराह निवासी खीपर तहसील बाटाडु व जिला  
बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर